

आर.टी.आई. मामला  
स्पीड पोस्ट द्वारा, आज ही

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
(बजट अनुभाग) वित्त प्रभाग

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29  
दिनांक: 20.08.2017

फा.सं.1-21/2005-06/बजट(आर.टी.आई.)/खण्ड-V(5)

सेवा में,

श्री जीशान हैदर,  
32/454, ब्लॉक-32, त्रिलोकपुरी,  
पूर्वी दिल्ली-110091.

**विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करने संबंधी।**

प्रिय महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने दिनांक 07.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन का अवलोकन करें जोकि सुश्री सुनीता ढोंडियाल, अवर सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (आई.एन.आई.-I प्रभाग), निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा अभिषिक्त प्रशासन अधिकारी एवं नोडल केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, एम्स के दिनांक 06.07.2017 के पत्र सं. एफ-35-1063/2017/आर.टी.आई.-स्था.-I के माध्यम से केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (वित्त) के दिनांक 07.07.2017 के पत्र संख्या 22/आर.टी.आई./2017/सी.पी.आई.ओ.(वित्त) द्वारा दिनांक 27.07.2017 को प्राप्त हुआ।

**बिन्दु-1**

संस्थान को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से वेतन/सामान्य तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु "योजना" तथा "गैर योजना" शीर्ष के तहत चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान तथा रोगी उपचार हेतु एकमुश्त अनुदान राशि प्राप्त होती है। इस निधि का उपयोग चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान, तथा रोगी उपचार प्रदान करने हेतु किया जाता है। पिछले आठ वर्षों के दौरान प्राप्त अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

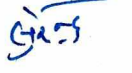
| वर्ष    | आबंटन   | वर्ष    | आबंटन   |
|---------|---------|---------|---------|
| 2009-10 | 886.51  | 2014-15 | 1622.00 |
| 2010-11 | 985.00  | 2015-16 | 1820.00 |
| 2011-12 | 1062.35 | 2016-17 | 2288.00 |
| 2012-13 | 1258.70 | 2017-18 | 2400.00 |
| 2013-14 | 1355.00 |         |         |

बिन्दु संख्या 2 से 4 बजट अनुभाग से संबंधित नहीं है।

Sayee 1/10  
25/8

वित्त एवं लेखा प्रभाग के अपीलीय प्राधिकारी श्री जयराम भोजवानी, वित्त सलाहकार, भूतल, प्रशासनिक खण्ड, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली हैं।

भवदीय,



(सुरेन्द्र कुमार)

वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं  
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,  
वित्त प्रभाग, एम्स

**प्रतिलिपि:-**

1. श्री ललित उरांव, प्रशासन अधिकारी एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, एम्स।
2. डॉ. सिद्धार्थ सतपथी, आचार्य एवं चिकित्सा अधीक्षक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, एम्स।
3. वित्त सलाहकार एवं अपीलीय प्राधिकारी के वैयक्तिक सहायक।
4. सुश्री सुनीता ढोंढियाल, अवर सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (आई.एन.आई.-I प्रभाग), निर्माण भवन, नई दिल्ली (आपके दिनांक 20.07.2017 के पत्र संख्या 142/आर.टी.आई./फाईल सं.बी-13019/15/2017-आई.एन.आई.-I के संदर्भ में)।
5. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी कार्यालय (वित्त प्रभाग), एम्स।
- ✓ 6. कंप्यूटर सुविधा-इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे आर.टी.आई. के तहत एम्स की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।